ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

संख्या - उ0मु0का0अ0/जी/2009 / 0PA-31411-31
दिनाँकः- 9 जुलाई 2009

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में, आवासी, ग्रुप हाऊसिंग, बिल्डर्स योजना, संस्थागत, औद्योगिक एवं वाणिज्य योजना में किसी योजना की सम्पूर्ण अवशेष धनराशि आवंटी द्वारा एकमुश्त भुगतान करने पर 2.0 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी । यह प्रस्ताव योजना के एकमुश्त अथवा किस्तों में पूर्व में किए गए भुगतानों पर लागू नहीं होगी । 2.0 प्रतिशत की छूट मात्र उस धनराशि पर अनुमन्य होगी जो इस कार्यालय आदेश के निरगत होने के दिनाँक के उपरान्त किसी योजना की अवशेष संपूर्ण धनराशि के रूप में एकमुश्त जमा कराई जाऐगी ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

8/7/09

(मोहिन्दर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।
3. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी/सी/आर) ।
4. विशेष कार्याधिकारी (वाई) ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष ।
6. समस्त प्रबन्धक (उद्योग/सम्पत्ति/आई0टी0/बिल्डर्स/वाणिज्यिक) ।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी)